

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 13.04.2021

### शांतिभंग की आशंका के महेनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के महेनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल—15 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा—151 / 107 / 116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

#### 01. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. बैचू कश्यप पुत्र शम्भू कश्यप नि0 पर्चईपुरवा थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—74 / 21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 02. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. इन्द्रदेव सोनकर पुत्र मिश्री लाल नि0 रमईपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 120 ली0 अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0—147 / 21, धारा 60 / 60(2) आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 03. थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राज बहादुर पुत्र पर्चई निषाद नि0 ऐली परसौली थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—69 / 21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।